



Akshara Multidisciplinary Research Journal

Peer-Reviewed & Refereed International Research Journal

September 2023

Special Issue 09 Volume V

**INDIAN HISTORY AND CONTEMPORARY
PERSPECTIVES**

Guest Editor

Dr. Yogesh Chandra

Asst. Professor (Sociology)
P.N.G. Govt. P. G. College
Ramnagar, Nainital
Uttarakhand

Dr. Pankaj Singh

Asst. Professor (History)
Dr Harisingh Gour Central
University, Sagar,
Madhya Pradesh

Dr. M. C. Arya

Assistant Professor, History
Govt. Degree College, Sitarganj
Udham Singh Nagar
Uttarakhand



Akshara Publication

Plot No 143 Professors colony,
Near Biyani School, Jamner Road, Bhusawal Dist Jalgaon Maharashtra 425201

Index

Sr.No	Title of the Paper	Author's Name	Pg.No
1.	The Himalayan Range and Climate Change	A. Bhattacharya, IAS(Retd.) Dr. Ranjana Bhattacharya	07
2.	Kalingaan Style Temple Architecture: A Study Of The Temple Of Lord Jagannath At Puri	Capt. Deepak Kumar Naayak Dr. Chanchala Jena	14
3.	Awareness of Plant Parasitic Nematodes, and preferred Sugarcane varieties, among smallholder farmers in Meerut region.	Dr. Resha	19
4.	Art and Architecture of the Verateshwar Temple of Shahdol District: Madhya Pradesh	Dr Heera Singh Gond	24
5.	The Role of Skill Development Courses in Fostering Self-Employment Opportunities	Dr. Harish Chandra Joshi	26
6.	Measures, Challenges, and Impact of Digital Economy in India: Transitioning from Cash to Cashless	Manish Kandpal	33
7.	Unveiling the Social Dynamics in English Literature: Exploring Power, Identity, and Representation	Dr. Nishant Bhatt Dr. Arvind Verma	37
8.	Polity and State Formation in the Peninsular Region	Dr. Ranjana Bhattacharya	42
9.	Gandhi and Mandela Contemporary Perspective of Satyagraha, Non-Violence and Constitutional Democracy	Prof. Suresh Kumar Dr. Rajkumar Ms. Poonam Yadav	48
10.	The role of Musalmans (Muslims) of Unnao, Farrukhabad and East Jaunpur in the Indian freedom struggle of 1857	Dr. Ranjana Dwivedi	53
11.	A New Perspective To Look At Partition	Bhavuk	56
12.	Military organization under mughals Period	Paramjeet Singh Dr. S.N. singh	61
13.	Colonial Representation and Impact on Tribes of India: Legacy of Identity and Existential Conflicts.	Shivangi Dwivedi	65
14.	गौधीवादी विचारधारा को समर्पित व्यक्तित्व : सुश्री राधा बहन	डॉ. अवनीन्द्र कुमार जोशी डॉ. हेमलता	71
15.	खैरागढ़ क्षेत्र से अप्रतिम नारीरूप: रानी पद्मावती	डॉ. अनामिका शर्मा	74
16.	प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के मुख्य स्रोत	डॉ. अनुभूति सेंडीमन	81
17.	औपनिवेशिक काल में भारतीय जनजीवन के विविध आयाम	अनिल शाह	85
18.	महिला सशक्तिकरण में संवैधानिक अधिनियमों की भूमिका : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	डॉ. रेनू प्रकाश शैलजा	88
19.	मानवाधिकार एवं सामाजिक सुरक्षा	डॉ.रश्मि जहाँ	92
20.	अंग्रेजों की सफलता : कुछ दुर्बलताएं कुछ संयोग	डॉ. कुसुम राय	96
21.	आर्थिक विकास के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का योगदान	डॉ. नीति चौहान	99
22.	कालू सिंह महारा : 1857 के अख्यात स्वतंत्रता सेनानी	डॉ. सुरेश टम्टा	102

The Himalayan Range and Climate Change**Dr. Ranjana Bhattacharya**

Professor

Maitrayi College, New Delhi

A. Bhattacharya

AS (Retd.) Distinguished Fellow

(TERI) New Delhi

Abstract:

In this study we shall first see the geological formation of the Himalayas and their impact on the changing climate patterns from pre-history to the early historical period in the Indian subcontinent. Himalayas mean the 'abode of snow' in Sanskrit. Our study spans over changes in the early glacial period, the natural disasters as a result of human and other interventions in Kedarnath, Joshimath and Ladakh regions. We have examined transformation in climate in the regions of Western Himalayas and Hindu Kush mountains. The Indian subcontinent was initially Gondwanaland, part of India, Australia, Antarctica and Africa. There is fossil evidence to prove this in early geological studies. Traces of rock formation and species embedded in them are proof of this. However, after the Jurassic period similarity in this process ceased. Larger part formed India which moved towards the north in the land mass comprising of Europe and Asia. India, Australia and the Indian Ocean are made up of what is referred to as the Indian plate which is juxtaposed against the African plate towards the West and Eurasian plate towards the north. The friction between these plates because of what is referred to as a result of convergent movement on one side and divergent movement towards the other has brought about transformation by pushing down land along with what is known as the fault lines. That is why changes have taken place in sea limits and land formation. Towards the end of Paleozoic times, around 248 million years from now, the Deccan which is also the peninsular region had acquired its present form. The base is made up of rocks and geologically considered as stable and mature. The early rocks in the Deccan do not have any fossil. However, the Gondwana rocks do have fossil content. Stuck in a vertical manner the Aravalli ranges are considered the earliest mountain ranges on earth.

Keywords: climate, natural disasters, mountains, species, historical, geological studies.

Introduction:

The Himalayas and adjacent salt ranges have rocks with fossil content as well as marine remains which go back to 570 million years. Known as the Cambrian period, there are indications that they emerged from sea sediments. The mighty Himalayas were once a part of the sea. This is referred to as the Tethys sea in geology which was from the Mediterranean region upto China till about 65 million years ago. Marine fossils can be traced till the Mesozoic age. From the early Tertiary period, the Eocene age, the Himalayas rose and there was a tremendous uplift upto the Miocene period. Around 5 to 25 million years ago, the Himalayas and nearby mountain ranges were a result of intense folding caused by pressures of the Indian plate and the Eurasian plate.

Broken rocks and alluvium which came down glaciers and riverine systems led to the formation of the Sivalik range along the foothills of the Himalayas. By the Pleistocene period, alluvium continued to be deposited along the Himalayan drainage system below the Shivalik. By the Pleistocene period, about 1.8 million to about 10,000 years ago, the Tethys sea being completely full led to the emergence of the alluvium deposits along the Indus, Ganga and Brahmaputra riverine systems.

The earliest people or the Homo erectus came up in the salt range of what is now Pakistan and the Shivaliks in India around two million years ago. Although physical features in India continue to be similar to that of the present, same transformations like rock accumulation in the area continued throughout the Pleistocene age. During the ice age, major parts of northern Europe and Asia were covered completely by ice. Glaciers moved down the sloping mountains and valleys which became vast. The Himalayan glacial system became the source of rivers which they had formally fed, and these rivers flowed down steep gradient of 1400 metres above the sea level. Rocks and terminal

महिला सशक्तिकरण में संवैधानिक अधिनियमों की भूमिका: एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

डॉ. रेनु प्रकाश

प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड

शैलजा

असिस्टेंट प्रोफेसर (ए.सी.), समाजशास्त्र विभाग, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय हल्द्वानी, नैनीताल, उत्तराखंड

सार संक्षेप

महिलासशक्तिकरण की अवधारणा मूल रूप से महिलाओं के समग्र सर्वांगीण विकास पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा का अधिकार, समानता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो अर्थात् संक्षिप्त शब्दों में यदि कहे तो महिलाओं के सर्वांगीण विकास कर उन्हें सुदृढ़ जीवन स्तर तक पहुंचाना है, इस सम्बन्ध में सामाजिक तौर पर अनेक सामाजिक सुधारों के साथ-साथ संवैधानिक तौर पर बनाये गये अधिनियमों एवं योजनाओं का भी विशेष योगदान है। अतः प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रस्थिति को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात निर्मित संवैधानिक अधिनियमों की विस्तृत चर्चा एवं प्रभाव को शोध बिन्दु के आधार पर रेखांकित करना है।

बीजशब्द: महिलासशक्तिकरण, संवैधानिक अधिनियम, योजना, सशक्त।

प्रस्तावना

यह सर्वविदित है कि भारतीय संविधान में कानूनी रूप से प्रत्येक नागरिक को बेहतर जीवन यापन के लिए समान अधिकार प्रदान किये गये हैं। एक महिला के सन्दर्भ में यदि हम बात करें तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के परम्परागत दृष्टिकोण एवं जीवन स्तर में अनेक विचारणीय परिवर्तन दृष्टिगत होने लगे हैं। परम्परागत विचारधारा के स्थान पर अब नवीन वैचारिकी का जन्म हो रहा है, जो प्रत्येक महिला को सशक्त महिला के रूप में आगे बढ़ने को प्रेरित करता है।

महिलायें समाज का एक अभिन्न अंग होती हैं तथा उनके अस्तित्व के अभाव में एक समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। स्वतन्त्रता के पश्चात देश के प्रथम प्रधानमंत्री पण्डित जवाहर लाल नेहरू का मानना था कि “भारत की महिलाओं पर मुझे गर्व है। उनके सौन्दर्य, आभा, आकर्षण, लज्जा, शालीनता, बुद्धिमत्ता एवं त्याग की भावना पर मुझे नाज है। मैं सोचता हूँ कि यदि भारत की भावना का सही मायनों में कोई प्रतिनिधित्व कर सकता है तो वे भारत की महिलाएँ ही हो सकती हैं पुरुष नहीं”¹ दशकों से हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि सशक्तिकरण का अभिप्राय क्या है और वास्तव में समाज में सशक्तिकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी?

महिलाओं की प्रस्थिति के सन्दर्भ में यदि हम अपना ध्यान आकर्षित करें तो वैदिक युग में महिलाओं का स्थान उच्च था। पुरुषों के समान उन्हें समस्त अधिकार प्राप्त थे केवल संतानोत्पत्तिके सन्दर्भ में महिला एवं पुरुषों के मध्य विभेद दृष्टिगत होता है और यहीं से सम्भवतः दोनों में कार्य विभाजन होता चला गया। महिला को सम्पूर्ण परिवार एवं बच्चों के पालन पोषण की जिम्मेदारी सौंप दी गई। पुरुषों को घर से बाहर परिवार के पालन पोषण हेतु आर्थिक गतिविधियों की जिम्मेदारी सौंपी गई। ऐसा प्रतीत होता है यही से सामाजिक तौर पर असमानता की अवधारणा ने जन्म लिया और एक महिला के अधिकारों को सीमित कर दिया गया। पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ और सारे प्रमुख अधिकार धीरे-धीरे पुरुषों के हाथों में चले गये और महिलाओं के पिछड़ेपन एवं शोषण का एक अध्याय शुरू हो गया। सम्भवतः समाज की संगठित, व्यवस्था एवं समानता लाने के उद्देश्य से सशक्तिकरण की अवधारणा ने जन्म लिया।

सशक्तिकरण एक बहुआयामी अवधारणा है जो व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह को इस योग्य बनाने का प्रयास करता है कि वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र/कार्यों में पूर्ण अस्मिता एवं शक्तियों को प्राप्त कर सकें। यदि किसी भी समाज में स्त्री-पुरुष असमानता के बीज विद्यमान हैं तो यह उस समाज के समग्र विकास के लिए कैसे यथोचित है?²

इसी प्रकार महिला सशक्तिकरण पर आमर्त्य सेन का मानना है कि “महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक असर पड़ेगा बल्कि पुरुषों और बच्चों को भी इससे लाभ मिलेगा, इसलिए राष्ट्र का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास शासन की गुणवत्ता एवं महिलाओं की सक्षमता दोनों पर निर्भर करता है।³

समाज में महिला सशक्तिकरण की आवश्यकता के सन्दर्भ में कमला भसीन ने कुछ दृष्टिकोण व्यक्त किये हैं जो इस प्रकार हैं⁴

1. महिला के ज्ञान एवं योगदान को पहचाना जाए।
2. असमानता एवं हीनता की भावना से लड़ने की क्षमता उत्पन्न की जाए।
3. महिलाओं में आत्मसम्मान एवं आत्म प्रतिष्ठा में वृद्धि की जाए।
4. महिलाओं में स्वयं की रक्षा करने की क्षमता बढ़ाई जाए।
5. महिलाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाया जाए।
6. सम्पत्ति एवं भूमि सम्बन्धी अधिकार प्रदान किये जाए।
7. कार्य का बोझ कम किया जाए।
8. महिला संगठनों का निर्माण किया जाए तथा उन्हें मजबूती प्रदान की जाए।
9. महिलाओं के पोषण स्तर को ऊंचा उठाया जाए।

इसी प्रकार महिला सशक्तीकरण के सन्दर्भ में प्रो.ए. आर. एन. श्रीवास्तव जी का मानना है कि "महिला सशक्तीकरण अध्ययन लगभग चार दशक पुराना है। इस अध्ययन की एक धारणा एवं मान्यता यह है कि विकासीय दौर के आरंभ से ही मानव समाज में पुरुषों का वर्चस्व रहा है। पुरुष-स्त्री के बीच प्राणीशास्त्रीय अथवा प्राकृतिक विभेदन की अपेक्षा सांस्कृतिक विभेदन का पक्ष प्रबल रहा है। दूसरे शब्दों में सांस्कृतिक विषमता प्राकृतिक यौन विभेदीकरण का प्रतिफल है। अति संक्षेप में "हम औरत हैं, हमारी चाह सीमित है" ⁵

अमेरिका की एक प्रसिद्ध शोध संस्था वर्ल्ड इकॉनामिक फोरम के अनुसार, 'महिला सशक्तीकरण की पहचान और परख आर्थिक, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक क्षेत्रों में उनकी भूमिका से की जा सकती है।' ⁶

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि महिलासशक्तीकरण की अवधारणा मूल रूप से महिलाओं के समग्र सर्वांगीण विकास पर आधारित है, जिसमें मुख्य रूप से शिक्षा का अधिकार, समानता, गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो अर्थात् संक्षिप्त शब्दों में यदि कहे तो महिलाओं के सर्वांगीण विकास कर उन्हें सुदृढ़ जीवन स्तर तक पहुँचाना है, इस सम्बन्ध में सामाजिक तौर पर अनेक सामाजिक सुधारों के साथ-साथ संवैधानिक तौर पर बनाये गये अधिनियमों एवं योजनाओं का भी विशेष योगदान है। अतः प्रस्तुत लेख का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रस्थिति को सशक्त बनाने के लिए स्वतंत्रता के पश्चात् निर्मित संवैधानिक अधिनियमों की विस्तृत चर्चा एवं प्रभाव को शोध बिन्दु के आधार पर रेखांकित करना है।

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध आलेख का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तीकरण की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए संवैधानिक अधिनियमों की विस्तृत चर्चा एवं अधिनियमों के प्रभाव को स्पष्ट करना है।

शोध अभिकल्प

प्रस्तुत लेख पूर्ण रूप से द्वैतियुक्त आकड़ों पर आधारित है, जिसके लिए मुख्य रूप से शोध पत्र, शोध आलेख, पत्र-पत्रिकाएँ, संदर्भित पुस्तक तथा इंटरनेट का प्रयोग किया गया है।

महिला सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिनियम एवं प्रावधान ⁷

महिलाओं को सशक्त बनाने एवं उन्हें समाज व विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेक संवैधानिक प्रावधानों या अधिनियमों का निर्माण किया गया है जिससे सम्बन्धित प्रमुख अनुच्छेद निम्नवत् हैं।

- 1 विधि के समक्ष समता (अनुच्छेद 14)।
- 2 धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता (अनुच्छेद 15)।
- 3 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता (अनुच्छेद-16)।
- 4 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध (अनुच्छेद-23)।
- 5 राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति निर्देशक तत्त्व (अनुच्छेद-39)।
- 6 समान न्याय एवं विधिक सहायता (अनुच्छेद-39क)।
- 7 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध (अनुच्छेद-42)
- 8 धर्म, मूल, वंश, जाति या लिंग अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ निर्वाचन नामावली में भेदभाव नहीं किया जायेगा (अनुच्छेद-325)।

संवैधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अनुच्छेदों के अतिरिक्त समय-समय पर महिला सशक्तीकरण के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए अनेक संवैधानिक योजनाओं का निर्माण किया गया है, प्रमुख योजनाएँ निम्नवत् हैं।

- 1 **राष्ट्रीय महिला आयोग** - महिला सशक्तिकरण एवं महिला उत्थान हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग, अधिनियम - 1990 के अन्तर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया।
 - 2 **स्थानीय निकायों में आरक्षण** : 1992 में संसद द्वारा पारित 73 वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अन्तर्गत ग्रामीण तथा नगरीय स्थानीय निकायों में महिलाओं को एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान है, जिससे महिलायें राजनीति के क्षेत्र में भी को स्वयं को सशक्ता से स्थापित कर सके।
 - 3 **बालिका शिशु हेतु राष्ट्रीय योजना का क्रियान्वयन** - यह योजना कन्या शिशु को सुरक्षा और विकास को सुनिश्चित कर उनके बेहतर भविष्य के निर्माण के उद्देश्य हेतु कार्यरत है, बाल- राष्ट्रीय नीति को भारत सरकार द्वारा 26 अप्रैल 2013 को अपनाया गया। वही नवीनतम बाल- राष्ट्रीय योजना 2016 ड्राफ्ट प्रारूप में है⁸
 - 4 **महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय मिशन** - महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय मिशन, महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वयन किया जा रहा है इसमें अंतर क्षेत्रीय अभिसरण को मजबूत करने और सभी मंत्रालयों और विभागों में महिला कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रमों के समन्वय की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए जनादेश है। एन. एम. ई. डब्लू के अन्तर्गत महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कौशल प्रशिक्षण प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, तकनीकी सहायता और बाजार सम्बन्धों को बढ़ावा देने का प्रावधान शामिल है⁹
 - 5 **बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ** - 22 जनवरी 2015 को जारी किया गया सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है। इसमें बाल लिंगानुपात में गिरावट और महिलाओं के पूरे जीवन-चक्र सातत्य में सशक्तिकरण से सम्बन्धित बिन्दुओं को संबोधित किया गया। यह एक त्रि-मन्त्रीस्तरीय प्रयास है जिसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय सम्मिलित है जिसका मुख्य लक्ष्य वकालत अभियान और जागरूकता द्वारा मानसिकता में परिवर्तन लाना है।¹⁰
- संविधान द्वारा दिये गये प्रविधानों के अलावा महिलाओं को सुरक्षा के दृष्टिगत अनेक महत्वपूर्ण अधिनियम भी पारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं।

- 1 बागान श्रम अधिनियम (1951)
- 2 कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (1952)
- 3 खान अधिनियम (1952)
- 4 प्रसूति सुविधा अधिनियम (1961)
- 5 दहेज निषेध अधिनियम (1961)
- 6 ठेका श्रम अधिनियम (1970)
- 7 समान पारिश्रमिक अधिनियम (1976)
- 8 अन्तराज्यीय प्रवासी कर्मकार अधिनियम (1979)
- 9 वेश्यावृत्ति निवारण (संशोधन) अधिनियम (1986)
- 10 प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी अधिनियम (1994)

सामाजिक, आर्थिक एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित महत्वपूर्ण योजनायें

- 1 **द्राकरा योजना (1982)** - स्वास्थ्य, शिक्षा एवं स्वच्छता से सम्बन्धित योजना।
- 2 **न्यू मॉडल चखी योजना (1987)** - आर्थिक सहायता एवं महिलाओं को प्रशिक्षण एवं अनुदान दिया जाता है।
- 3 **महिला प्रशिक्षण योजना (1989)** - रोजगार परख प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया है।
- 4 **महिला समाख्या योजना (1989)** - शिक्षा की समुचित व्यवस्था के लिए इस योजना का प्रारम्भ किया गया।
- 5 **महिला स्वशक्ति योजना (1998)** - इसके अन्तर्गत महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने का प्रयास किया गया।

उपरोक्त सभी अधिनियमों के अलावा¹¹ घरेलू हिंसा अधिनियम 2005, पैतृक संपत्ति में अधिकार 2005, कन्या भ्रूण हत्या अधिनियम 2003, अनैतिक व्यापार निरोधक अधिनियम 2006, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2010, अपराधिक कानून विधेयक (संशोधित) 2013, आदि अधिनियमों को पारित करना न केवल महिलाओं को सुरक्षा मुहैया कराना है वरन् उन्हें सशक्त बनाना भी है।

सम्पूर्ण शोध पत्र के विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि आज 21 वीं सदी में हम इस वास्तविकता को नकार नहीं सकते हैं कि महिलायें सशक्तिकरण की दिशा की ओर तीव्र गति से अग्रसर हो रही हैं। सशक्तिकरण के पैमाने की अगर हम बात करें तो आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा तथा राजनीति में सहभागिता को आधार माना जा सकता है। क्योंकि इन क्षेत्रों में एक महिला की सशक्त पकड़ ही उसे सशक्त महिला के रूप में स्थापित कर सकती है। आज यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि इन पाँचों क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी एक दमदार उपस्थितिको भी दर्ज किया है। यही कारण है कि आज समाज का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जो महिलाओं की पकड़ से अछूता है। पुरुष वर्चस्ववाले क्षेत्रों में भी महिलाओं ने अपनी पकड़ मजबूत की है। महिलाओं को सशक्त बनाने में संवैधानिक अधिनियमों का भी विशेष महत्व है। लेकिन यहाँ पर हम इस तथ्य से भी इनकार नहीं कर सकते हैं कि तमाम सरकारी एवं संवैधानिक प्रयासों के परिणामस्वरूप भी महिला सशक्तिकरण या उनकी प्रस्थिति में मनोवांछित सुधार अथवा अपेक्षित परिणाम दृष्टिगत नहीं हो रहे हैं। अतः सर्वप्रथम हमें परम्परागत मानसिकता में भी परिवर्तन लाना होगा। नीतियों का निर्माण एक सुखद पहल है परन्तु उनका क्रियान्वयन भी होना अपेक्षित सुखद परिणाम भी होगा।

यद्यपि सरकारी प्रयासों ने महिला सशक्तिकरण के मार्ग को प्रशस्त किया है तथा महिला समानता के साथ विकास एवं प्रगति की एक नयी राह को महिलाओं के लिए खोला है जहाँ उनके निर्णय लेने की क्षमता को तो बल मिला है साथ ही स्वयं को जागरूक एवं सशक्त बनाने की क्षमता का भी विकास होगा, किन्तु हम सब का एक सामूहिक प्रयास महिलाओं को सशक्त होने की दिशा में मजबूती प्रदान करेगा तभी संवैधानिक अधिनियमों की सार्थकता सिद्ध होगी। जब सम्पूर्ण समाज महिला समानता को स्वीकार करेगा। तभी वास्तव में महिला सशक्तिकरण सम्भव है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. तिवारी, एस. पी., “सशक्त महिला-सशक्त समाज” उद्धृत: महिला सशक्तीकरण चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ पूवाशा प्रकाशन, भोपाल, 2005, पे. न. 21
2. कुमार नरेन्द्र सिंधी (लेख) “नारीवाद की सैद्धान्तिक पृष्ठभूमि में महिला विमुक्ति एवं सशक्तिकरण के व्यापक एवं भारतीय सन्दर्भ में विशिष्ट आयाम” उद्धृत आशा कौशिक, महिला सशक्तिकरण विमर्श एवं यथार्थ, जयपुर 2004 पृष्ठ संख्या 03
3. प्रतियोगिता दर्पण (सितम्बर २००२) पृ० संख्या-374
4. नारायण नाराणी प्रकाश, गौतम ज्योति, लिंग एवं समाज”.-2012 रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर, पे. न. 50-51.
5. श्रीवास्तव ए. आर. एन “महिला सशक्तीकरण: उज्ज्वल भविष्य, काले धब्बे (लेख) उद्धृत - राधा कमल मुकर्जी: चिन्तन परम्परा वर्ष - 19 अंक- 01 जनवरी-जून 2017 समाज विज्ञान विकास संस्थान बरेली पे. न. 01
6. उपरोक्त पे. न. 01 – 02
7. नारायण नाराणी प्रकाश, गौतम ज्योति, लिंग एवं समाज”.-2012 रिसर्च पब्लिकेशन्स जयपुर, पेज न. 52
8. लोहानी श्वेता, भारत में महिला सशक्तीकरण - संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानों के विशेष सन्दर्भ में (लेख) उद्धृत - राधा कमल मुकर्जी: चिन्तन परम्परा, जनवरी-जून 2017 समाज विज्ञान विकास संस्थान बोली पठन ०- 56
9. उपरोक्त 56-57
10. उपरोक्त पे. न. 57
11. कुरुक्षेत्र, वर्ष 59 अंक 10 अगस्त 2013, महिला सशक्तीकरण का आत्मवलोकन पे. न. 05